

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग


क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(5)योजना/न.प.चि.उ./2016-17/9665

दिनांक:- 28/3/2017

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
जयपुर।

विषय:- स्वीकृत पशु चिकित्सा उपकेन्द्र को आस्थगित (Kept in Abeyance) किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समसंख्यक आदेश क्रमांक 9520 दिनांक 16.03.2017 के द्वारा आदेश क्रमांक 4866 दिनांक 18.02.2016 के क्रम संख्या 29 पर अंकित ग्राम धनोली, ग्राम पंचायत मेनपुरा, विधानसभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर, जिला सवाईमाधोपुर के स्थान पर ग्राम मेनपुरा, ग्राम पंचायत मेनपुरा, विधानसभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर, जिला सवाईमाधोपुर किया गया संशोधन आस्थगित (Kept in Abeyance) किया जाता है।



(एन.एल.गुप्ता)

शासन उप सचिव
दिनांक:-

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(5)योजना/न.प.चि.उ./2016-17/

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. महा लेखाकार, राजस्थान द्वारा आवासीय सहायक अंकेक्षण अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

विभाग- पशुपालन
पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक-एफ वी 1(2)(5)योजना, न.प.सि.स. 2016-17/9676-9695 दिनांक 28/3/2017

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय पशुपालन विभाग।
3. अतिरिक्त निदेशक-उत्पादन/फार्म एंड सम्पदा/स्वास्थ्य/दवाप्रकोष्ठ/मॉनिटरिंग निदेशालय पशुपालन विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग भरतपुर।
5. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सवाईमाधोपुर।
6. संयुक्त निदेशक-साखियकी/उप निदेशक विस्तार/कम्प्यूटर साखा पशुपालन विभाग।
7. प्रभारी संस्थापन अ.व. 1,2,स.1,2, संख्या बल सामान्य।
8. रक्षित पत्रावली।


28/3/17
संयुक्त निदेशक (योजना)